कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर ।

पत्र सं0- 2023120108434038 / पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र

पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र 5000/- (पाँच हजार रूपये) से अधिक के प्रयोजन एवं चल / अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु मान्य नहीं होगा।

तहसीलदार कानपुर की आख्या दिनोंक 05-12-2023 (छायाप्रति पुश्त पर प्रमाण पत्र का भाग रहेगा) के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि मृतक LATE TRILOK SINGH पुत्र LATE PRITAM SINGH निवासी 78/2 GOVIND NAGAR LABOUR COLONY KANPUR NAGAR/PRESENT ADDRESS- 1151 MARUTI VIHAR SECTOR 28 CHAKKARPUR GURGAON HARYAN मृत्यु पिट्नोंक 17-05-2001 को हो चुकी हैं। NARINDER KAUR पत्नी LATE TRILOK SINGH की मृत्यु दिनांक 26-12-2022 को हो चुकी है। तहसीलदार की जाँच आख्या के आधार पर निम्नांकित पारिवारिक सदस्य तस्दीक किये जाते हैं।

कम सं०	मृतक के पारिवारिक सदस्यों के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु (वर्ष)
1	TANUPREET KAUR	विवाहिता पुत्री	40

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पारिवारिक सदस्य तस्दीक नहीं किया गया है।

- 1. यह प्रमाण-पत्र गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैन्युअल के प्रस्तर- 66(4) के साथ पठित इण्डियन सिक्योरिटीज एक्ट सन् 1920 के प्रस्तर-13(2) के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुसार मात्र रूपये 5,000/- तक के भुगतान संबंधी मामलों में ही मान्य है।
- 2. किसी भी स्तर पर शपथपत्र में अंकित तथ्यों एवम् प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अभिलेखों अथवा किसी न्यायालय में कोई बाद विचाराधीन होने या तथ्य छिपाये जाने पर प्रमाण-पत्र स्वतः शून्य माना जायेगा। रूपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार) से अधिक की धनराशि सम्पत्ति के किसी प्रकार के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 3. रूपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार) से अधिक की धनराशि के भुगतान / सरकारी सेवा / सम्पत्ति के किसी प्रकार के प्रयोजन हेतु जारी यह प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा अपितु इसके लिए सक्षम न्यायालय से सम्बन्धित को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी कराना अनिवार्य होगा।
- 4. यदि गलत तथ्यों के आधार पर अथवा एक ही मृतक के सम्बन्ध मे दो भिन्न-भिन्न परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र आवेदन के आधार पर निर्गत किए गये हो तो वह स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 5. परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय में पारित निर्णय के अधीन रहेगा।
- उपरोक्त पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जिस प्रयोजन हेतु जारी किया गया है। उससे सम्बन्धित कार्य हेतु सत्यापन सम्बन्धित लिपिक के स्तर से किया जायेगा। किसी भी भिन्न प्रयोजन हेतु सत्यापन नहीं किया जायेगा।
- 7. खण्ड विकास अधिकारी / नगर निगम द्वारा जारी परिवार रिजस्ट्रार की नकल में कोई भी भिन्नता पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 8. यह कि यदि किसी विभाग द्वारा 5000/- से अधिक के प्रयोजन हेतु इस प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग की होगी।

(रितेश कुमार)

तहसीलदार सदर

कानपुर नगर

दिनांक : 05/12/2023

(अजय कुमार गौतम) उप जिलाधिकारी ,सदर कानपुर नगर

This certificate can be verified by https://ofmcs.kanpurinfo.in/verify